कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, तृतीय तल,
कचहरी क्षेत्र, भागलपुर, 812001

Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, 3rd Floor,
Court Area, Bhagalpur, 812001

पत्रांक : A&R/2026-27/ ....   **दिनांक** ....

सूचना

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के आदेश ज्ञापांक PM SHRI/97/2026/3039 दिनांक 17.06.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में पी०एम०श्री विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 की न्यूनतम 50 बालिकाओं के आत्मरक्षा हेतु रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (Self Defence) कार्यक्रम का संचालन जिला स्तर से चयनित प्रशिक्षकों द्वारा किया जाना है। यह प्रशिक्षण कुल 77 दिनों (राजपत्रित सामान्य अवकाश को छोड़कर) का होगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु ₹ 10,000/- प्रति विद्यालय प्रतिमाह अर्थात् ₹ 30,000/- प्रति विद्यालय की दर से राशि का मानदेय प्रावधानित है।

प्रशिक्षकों के चयन हेतु न्यूनतम् अर्हता निम्नवत् है :–

1. कराटे :– ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन/कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया/कराटे ऑर्गेनाईजेशन ऑफ इंडिया (AIKF/KAI/KIO) से निबंधित कराटे स्टाईल द्वारा निर्गत कराटे ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी।
2. आयु :– न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।
3. शैक्षणिक योग्यता :– स्नातक या उसके समकक्ष।
4. कार्यानुभव :– कराटे विधा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कम–से–कम 01 वर्ष का अनुभव।

- ➢ पी०एम०श्री विद्यालयों में रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (Self Defence) कार्यक्रम अन्तर्गत कराटे प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त अर्हता प्राप्त मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षकों का बायोडाटा, फोटो पहचान पत्र (यथा–आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/पासपोर्ट), फोटो, बैंक खाता संबंधी विवरणी की अभिप्रमाणित/सत्यापित प्रति एवं एक शपथ पत्र जिला कार्यालय (बिहार शिक्षा परियोजना, भागलपुर) में **दिनांक 03.10.2026 संध्या 05:00 बजे तक** आमंत्रित किए जायेंगे।
- ➢ जिला कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा सभी आवेदकों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित/सत्यापित प्रति का मिलान मूल प्रमाण–पत्र से किया जायेगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या प्रमाण–पत्रों के सत्यापित न होने की स्थिति में उस प्रशिक्षक की सेवा नहीं ली जाएगी।
- ➢ के०जी०बी०वी० विद्यालय की कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ➢ मार्शल आर्ट प्रशिक्षक जिला कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप अपने–अपने आवंटित विद्यालयों में निर्धारित तिथि से अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना प्रारंभ करेंगे तथा विद्यालय प्रधान की सहमति से प्रशिक्षण का समय निर्धारित करेंगे। प्रशिक्षण हेतु चयनित सभी बालिकाओं को विद्यालय अवधि में न्यूनतम् 02 घंटा का प्रशिक्षण देंगे।
- ➢ यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसमें मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षकों को कार्य करने की मात्र अनुमति प्रदान की गई है। प्रशिक्षकों द्वारा किए गए कार्य की समाप्ति के उपरांत कार्य करने की दी गयी अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा भविष्य में इससे संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुर्व्यवहार आदि की शिकायत मिलने पर समीक्षोपरान्त सत्यापन की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्य से मुक्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

Sd/-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा०शि० एवं स०शि०, भागलपुर।

ज्ञापांक : A&R/2026-27/ 2623 /भागलपुर, दिनांक: 24.09.2026

प्रतिलिपि :– कार्यालय सहायक, बिहार शिक्षा परियोजना, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना की स्वच्छ प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– संभाग प्रभारी (MIS), बिहार शिक्षा परियोजना, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला विज्ञान एवं सूचना पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त सूचना NIC के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

24.09.26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा०शि० एवं स०शि०, भागलपुर।

☎ : 8544411116
Email : bepbhagalpur@gmail.com
Website : www.bepbhagalpur.org